

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

दाखिल खारिज रिविजन वाद - 55/2022

दीपक शर्मा बनाम् झारखण्ड राज्य वगै०

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख

10.02.2023

यह वाद अपीलार्थी दीपक शर्मा, पिता-स्व० श्री दिनेश शर्मा, ग्राम-बंगाली टोला रामगढ़, पो०-रामगढ़, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ का न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-30/2021-22 दीपक शर्मा बनाम् अंचल अधिकारी पतरातू में दिनांक-07.03.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S - 16 of Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act-1973 के तहत प्रारम्भ किया गया। वाद को अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा-सिउर थाना-पतरातू थाना सं०-93 के खाता सं०-17 प्लॉट नं०-193 रकबा-0.16 ए०, प्लॉट नं०-194 रकबा-0.3650 ए०, खाता सं०-18 प्लॉट नं०-69 रकबा-0.0550 ए०, प्लॉट नं०-280 रकबा-0.05 ए० एवं खाता सं०-19 प्लॉट नं०-133 रकबा-0.05 ए० कुल रकबा-0.68 ए० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं, सरकारी अधिवक्ता को सुना, समर्पित आवेदन/कारण पृच्छा, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, उनके द्वारा समर्पित आवेदन, कारण पृच्छा एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवाला संख्या-7205, दिनांक-07.08.1968 द्वारा बिक्रेता रामलगन मिस्त्री ने क्रेता श्रीमती राधा देवी को मौजा-सिउर थाना-पतरातू थाना सं०-93 के खाता सं०-17 प्लॉट नं०-193 रकबा-0.16 ए०, प्लॉट नं०-194 रकबा-0.3650 ए०, खाता सं०-18 प्लॉट नं०-69 रकबा-0.0550 ए०, प्लॉट नं०-280 रकबा-0.05 ए० एवं खाता सं०-19 प्लॉट नं०-133 रकबा-0.05 ए० कुल रकबा-0.68 ए० भूमि को बिक्री गई है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के वंशज रामलगन मिस्त्री ग्राम-सिउर थाना-पतरातू जिला-हजारीबाग हाल जिला-रामगढ़ ने प्रश्नगत भूमि भूतपूर्व जमींदार से समझौता पर हुकुमनामा के द्वारा अधिग्रहित किया है। वर्ष 1968 में रामलगन मिस्त्री ने निबंधित केवाला संख्या-7205, दिनांक-07.08.1968 से प्रश्नगत भूमि को अपनी पत्नी श्रीमती राधा देवी को हस्तांतरित कर

दिया। क्रय के पश्चात राधा देवी उक्त भूमि पर दखल कब्जा में आए तथा लगातार शांतिपूर्ण रूप से रहने लगे। राधा देवी के मृत्यु के पश्चात उनके वैध वंशज एवं उत्तराधिकारी को उपरोक्त सम्पत्ति विरासत में मिली। लेकिन अपीलार्थी तभी नाबालिग थे, लेकिन अब वे बड़े हो गये हैं। निम्न न्यायालय के द्वारा हुकुमनामा पर विचार नहीं किया गया CNT की भूमि मन्ते हुए दाखिल खारिज अपील अस्वीकृत कर दिया जो नियमसंगत नहीं है। उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज अपील संख्या-30/2021-22 में दिनांक-07.03.2022 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रिवीजन आवेदन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में स्पष्ट है कि मौजा-सिउर थाना-पतरातू थाना सं०-93 के खाता सं०-17 प्लॉट नं०-193 रकबा-0.16 ए०, प्लॉट नं०-194 रकबा-0.3650 ए०, खाता सं०-18 प्लॉट नं०-69 रकबा-0.0550 ए०, प्लॉट नं०-280 रकबा-0.05 ए० एवं खाता सं०-19 प्लॉट नं०-133 रकबा-0.05 ए० कुल रकबा-0.68 ए० भूमि सर्वे खतियान में ललुवा चौकीदार कौम रजवार अंकित है। जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं। अपीलार्थी का कहना है कि उक्त भूमि उनके वंशजों को हुकुमनामा से प्राप्त करने के पश्चात निबंधित केवाला से भूमि हस्तांतरित हुई है। लेकिन उनके द्वारा जमाबंदी के संबंध में स्पष्ट नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त भूमि का हुकुमनामा निबंधित है या नहीं साथ ही साथ यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त हुकुमनामा कब किया गया है। इससे संशय उत्पन्न होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-30/2021-22 दीपक शर्मा बनाम अंचल अधिकारी, पतरातू में दिनांक-07.03.2022 को पारित आदेश को यथावत् रखते हुए रिवीजन आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शा.ध.वी.सि.ध.रा

10-02-2023

उपायुक्त,

रामगढ़।

शा.ध.वी.सि.ध.रा

10-02-2023

उपायुक्त,

रामगढ़।